

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/एलएचवी/नाम विलोपित/सी-2/2017/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती पूनम शोभावत, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालेसर, जोधपुर जिनकी राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 25.06.2017 को मृत्यु हो चुकी है का दिनांक 25.06.2017 से राज्य सेवा से नाम विलोपित किया जाता है।

उक्त कार्मिका के मृत्यु दिनांक तक उनके विरुद्ध:-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 4- कोई राजकीय सामान व राशि बकाया नहीं है।

Sd

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/एलएचवी /नाम विलोपित/सी-2/2017/ 607 दिनांक 8/9/2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालेसर, जोधपुर।
4. संबन्धित कर्मचारी के आश्रित द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर